

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

सं०सं०-9/आ०-02-39/2024(स्वा०)/पटना, दिनांक

सिविल सर्जन, नवादा के पत्राक-2760 दिनांक-03.10.2024 एव प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कौवाकोल, नवादा के पत्रांक-363 दिनांक-04.10.2024 द्वारा प्रतिवेदित है कि डा० पंकज कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, फुलडीह, कौवाकोल, नवादा को पकरीवरौवा थाना काण्ड सं०-445/2024 में स्थानीय पुलिस द्वारा दिनांक-02.10.2024 को गिरफ्तार किया गया है।

2. विभागीय अधिसूचना सं०-1281(9) दिनांक-12.12.2024 द्वारा प्रतिवेदित आरोप के आलोक में डा० कुमार को निलंबित करते हुए निलंबन अवधि हेतु मुख्यालय, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना निर्धारित किया गया।
3. डा० कुमार को अधिसूचना निर्गत की तिथि से निलंबन मुक्त करते हुए पदस्थापन की प्रतीक्षा में स्वास्थ्य विभाग में योगदान करने का निदेश दिया जाता है।
4. डा० कुमार के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही के फलाफल के आधार पर निलंबन अवधि का निर्णय लिया जायेगा।
5. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(उपेन्द्र राम)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापक:-9/आ०-02-39/2024(स्वा०).452(9)...../पटना, दिनांक 16.05.25

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (ले० एवं हक०) बिहार पटना/प्रभारी वित्त (वै० दा० नि० को०) विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, नवादा/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, मगध प्रमंडल, गया/सिविल सर्जन, नवादा को सूचनार्थ एवं आवश्यक प्रेषित।

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री (स्वा०) के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वा० विभाग के प्रधान आप्त सचिव/ निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना के निजी सहायक को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:-डा० पंकज कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, फुलडीह, कौवाकोल, नवादा सम्प्रति निलंबित मुख्यालय स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-प्रशाखा पदाधिकारी 2, 3, 7, 8, 10, 17 एवं 18A को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-आई०टी० मैनेजर, स्वा० विभाग को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

30/5
16/05/2025
सरकार के अवर सचिव।